प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.10.2024

POLICE CRACKDOWN

कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 15.10.2024 थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा चेकिंग करते समय एक अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया ।पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग से अभियुक्त हुआ घायल, गिरफ्तार,अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल तथा एक पीली धातु की बटन नुमा बट्टी बरामद ।अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त दिनांक 29.08.2024 को शाम के समय गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोविन्दपुरम के पास जाती हुई महिला के गले से पीछे से मोटर साइकिल से चैन तोडकर भागा था उक्त चैन की किसी अन्जान सुनार से बट्टी बनवाई थी।

अभियुक्त का नाम पता-

विशाल पुत्र प्रेम सिंह नि0- बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जनपद- गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक पीली धातु की बटन नुमा बट्टी व एक मोटर साईकिल चोरी की

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम ।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा आटे मे मूत्र मिलाने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 14.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गयी जिसमे आरोपित किया गया कि, उनके फ्लैट मे मेड का काम करने वाली रीना नाम की महिला पर उन्हे कई दिनो से शक हो रहा था, जिसके चलते आवेदिका द्वारा अपनी रसोई मे मोबाइल फोन रखकर उसकी रिकॉर्डिंग की गयी तो पाया कि मेड द्वारा आटे मे स्वयं का मूत्र मिलाकर उस आटे की रोटियां बनायी गयी । उक्त लिखित सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया ।

आज दिनांक 15.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाली अभियुक्ता रीना पत्नी प्रमोद निवासी शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र- 32 वर्ष को जी एच 7 सोसायटी से गिरफ्तार किर उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता—

रीना पत्नी प्रमोद निवासी शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र- 32 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण---

अभियुक्ता द्वारा पूछताछ पर उपरोक्त घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मुझ पर मेरे मालिक काफी नजर रखते थे तथा छोटी छोटी गलती पर मुझे काफी खरी खोटी सुनाते थे। इस बात का मुझे काफी बुरा लगता था। मौका मिलते ही मेरे द्वारा उनके आटे मे मूत्र मिलाकर कई बार मेरे द्वारा रोटिया बनाकर खिलायी गयी।

आपराधिक इतिहास---

अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब (चंडीगढ़ मार्का) की 309 बोतल, 107 हाफ बोतल, 716 पव्वे (कुल कीमत लगभग 4 लाख रूपये) व अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी में प्रयुक्त एक कैन्टर वाहन बरामद।

आज दिनांक 16.10.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग (संदिग्ध वाहन//व्यक्ति) के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक कैन्टर वाहन को रोककर चेक किया तो कैंन्टर के अन्दर 03 व्यक्ति बैठे थे जब वाहन और भरे हुए माल के कागजात मांगे और वाहन को चेक किया तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि कैंन्टर के अन्दर अवैध अंग्रेजी शराब ड्रमों के अन्दर भरी हुई है तत्काल तीनों अभियुक्तगण 1. राजदेव पुत्र स्व0 तुलसीराम निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम तितरा आसानंद थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 49 वर्ष 2. परमजीत सिंह पुत्र गुरूवचन सिंह निवासी आर 55 जी दिलशाद गार्डन दिल्ली मूल पता- ग्राम कानवान जिला गुरूदासपुर पंजाब उम्र करीब 49 वर्ष व 3. संजीव कुमार पुत्र श्री रतन सिंह निवासी ए 1 32 एफ 3 डीएलएफ भोपुरा थाना शालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष को राजेन्द्र नगर गोल चक्कर थाना साहिबाबाद से अवैध अंग्रेजी शराब (चंडीगढ़ मार्का) की 309 बोतल, 107 हाफ बोतल, 716 पव्वे (कुल कीमत लगभग 4 लाख रूपये) व अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी में प्रयुक्त एक कैंन्टर वाहन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अंग्रेजी शराब जो कैंन्टर से बरामद हुई है वो ट्रांसपोर्टर अंकुर कैरियर मालिक बिजेश कुमार धहिया पुत्र हाऊ लाल निवासी खसरा न0 31 हर नारायण गोपी नाथ कम्पाउन्ड चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद की है जो कि अंग्रेजी शराब को चंडीगढ़ से मंगवा कर बेचने के लिये बिहार भिजवाते है। हम लोग अंग्रेजी शराब को ड्रमों में छिपाकर बेचने के लिए बिहार ले जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. राजदेव पुत्र स्व0 तुलसीराम निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम तितरा आसानंद थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 49 वर्ष।
2. परमजीत सिंह पुत्र गुरूवचन सिंह निवासी आर 55 जी दिलशाद गार्डन दिल्ली मूल पता- ग्राम कानवान जिला गुरूदासपुर पंजाब उम्र करीब 49 वर्ष।
3. संजीव कुमार पुत्र श्री रतन सिंह निवासी ए 1 32 एफ 3 डीएलएफ भोपुरा थाना शालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

अवैध अंग्रेजी शराब (चंडीगढ़ मार्का) की 309 बोतल, 107 हाफ बोतल, 716 पव्वे (कुल कीमत लगभग 4 लाख रूपये) व अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी में प्रयुक्त एक कैंन्टर वाहन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 16.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ शौकीन उर्फ गंजा पुत्र असगर निवासी कंचन पार्क लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को ईदगाह के पास, अंसल कॉलोनी के अन्दर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद हुई। उपरोक्त चोरी की मोटर साइकिल के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी। आज मैं इस चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सोनू उर्फ शौकीन उर्फ गंजा पुत्र असगर निवासी कंचन पार्क थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त चोरी की मोटर साइकिल के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष बिना बताये घर से कही चली गयी है। उक्त लिखित सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया तथा तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया एवं पीडिता के साथ दुष्कर्म होने की घटना प्रकाश में आयी जिसके चलते अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गयी तथा दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आलोक पाल की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 16.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त आलोक पाल पुत्र जगतपाल निवासी खिरिया पमारन थाना नया गांव जिला एटा हाल पता किराये के मकान मे दीपक पब्लिक स्कूल के पास बहरामपुर थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद को माया फार्म हाउस कट ताज हाईवे थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आलोक पाल पुत्र जगतपाल निवासी खिरिया पमारन थाना नया गांव जिला एटा हाल पता किराये के मकान मे दीपक पब्लिक स्कूल के पास बहरामपुर थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं वर्ष-2022 में पीडिता के घर पर कमरा किराये पर लेकर रह रहा था तभी से मेरी बातचीत पीडिता के साथ होती रहती थी एवं हमारी काफी गहरी दोस्ती हो गयी। मेरे कहने पर ही पीडिता अपने घर से किसी को बिना बताये मेरे पास आ गयी थी। मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध भी बनाये थे।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक लड़के से कुछ लड़को द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए पीड़ित की तलाश की गयी। पीड़ित द्वारा उक्त सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें आरोपित किया गया कि विपक्षीगण गौरव सौलंकी, अतुल, अरुण, शिवम व सचिन आदि द्वारा पीडित के साथ मारपीट की गयी। प्राप्त लिखित तहरीर पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों (1) अतुल पुत्र सुधीर (2) सचिन पुत्र राजकुमार (3) अरूण कुमार पुत्र रामलाल (4) रितिक पाल पुत्र इन्द्रजीत पाल को भीमनगर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

(1) अतुल पुत्र सुधीर निवासी भीम नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष
(2) सचिन पुत्र राजकुमार निवासी न्यू शांति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष
(3) अरूण कुमार पुत्र रामलाल निवासी शांति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष
(4) रितिक पाल पुत्र इन्द्रजीत पाल निवासी महाराणा विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अरुण उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मेरे वादी विशाल पर 02 हजार रुपये थे, जिनको मैने वापस मांगा तो उसके द्वारा मुझे रुपये वापस नही किये गये तथा कहा कि तुमसे जो होता हो कर लेना। यह बात मुझे काफी चुभ गयी तो मैने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसको फोन करके बुलाया और हम सबने मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त अतुल पूर्व में थाना विजयनगर से नकबजनी के अभियोग में जेल जा चुका है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्ज़े से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 15-10-24 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हिन्डन विहार मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्ज़े से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है , अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण--

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त शकील उर्फ चिकना ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह गांजा मोहन नगर बस अड्डे के पास से एक व्यक्ति से लेकर आता हूँ उसका नाम पता मालूम नही है और ना ही वह अपना नाम बताता है। मै यह गांजा पुडिया बनाकर मुनाफा कमाने के लिए राह चलते लोगो को बेच देता हूँ, जिससे मैं अपना शौक पूरा करता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पता--

शकील उर्फ चिकना पुत्र रहीस निवासी- गली नं0 2 हनुमान मन्दिर के पास नई बस्ती वाली गली थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि0 शकील उर्फ चिकना के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर 03 अभियोग अवैध शराब तस्करी के, थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का , कुल 04 अभियोग कमि0 गाजियाबाद में पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण—

1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 22 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।

आज दिनांक 16.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वांछित अभियुक्त शाद पुत्र नामइलाही निवासी वार्ड न0 06 मौहल्ला किला थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1. शाद पुत्र नामइलाही नि0 वार्ड न0 06 मौहल्ला किला थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष
2. 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।